

प्रा. संख्या-015 (क-७)

त्रिलोक गणराज्य

RPO लोडी / CPPA ट्रॉफी का
Bumper नं. ८०१ का नं. ८०१



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई०

माघ 24, 1922 शक समत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

कृषि अनुभाग

संख्या 345/कृषि/2000-2001

देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प० आ०-०१७

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 31 की विधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल के सभी जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियोजन संस्थित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,

(डा० आर० एस० टोलिया)

प्रमुख राजिव एवं जायुक्त,

वन एवं ग्राम्य विकास।